भारत सरकार रेल मंत्रालय

लोक सभा 15.03.2023 के तारांकित प्रश्न सं. 205 का उत्तर

स्टेशन मास्टरों की भारी कमी

*205. कुंवर दानिश अली:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या देश में रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की भारी कमी है;
- (ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्टेशन मास्टरों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;
- (घ) रेलवे द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या कितनी है और उक्त रिक्त पदों पर अब तक कितनी भर्तियां की गई हैं;
- (इ) क्या रेलवे ने समूह 'घ' और समकक्ष पदों को समाप्त कर दिया है; और
- (च) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

स्टेशन मास्टरों की भारी कमी के संबंध में दिनांक 15.03.2023 को लोक सभा में कुंवर दानिश अली द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 205 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख) : दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में स्टेशन मास्टरों के स्वीकृत पद, ऑन रोल और रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्टेशन मास्टर संवर्ग	स्वीकृत पद	ऑनरोल	रिक्तियां
	41884	36531	5353

नोटः सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक परिचालनिक आवश्यकताओं से अधिक होती है क्योंकि इनमें लीव रिजर्व और रेस्ट गिवर का तत्व शामिल होता है, जो संरक्षा कोटियों में 30% से 12.5% तक घटती-बढ़ती रहती हैं।

(ग) और (घ): पदों का रिक्त होना और रिक्तियों को भरा जाना सतत प्रक्रिया है और इन्हें रेलों द्वारा परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेन्सियों को मांगपत्र भेजकर भरा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, पद रिक्त होते हैं और उन्हें बाद में भरा जाता है। स्टेशन मास्टरों की 6865 रिक्तियों को केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) सं. 01/2019 - गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (एनटीपीसी) के तहत अधिसूचित किया गया था तथा मांग पत्र भेजने वाली रेलों को इनके पैनल पहले ही भेज दिए गए हैं।

(ङ): जी नहीं।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 205 TO BE ANSWERED ON 15.03.2023

ACUTE SHORTAGE OF STATION MASTERS

†*205. KUNWAR DANISH ALI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether there is acute shortage of Station Masters at railway stations in the country;
- (b) if so, the details thereof including the reasons therefor;
- (c) the steps being taken by the Government for recruitment of Station Masters and the time by which the vacancies are likely to be filled;
- (d) the number of vacancies advertised and the number of recruitments made on the said vacancies so far by the Railways;
- (e) whether the Railways has abolished Group D and equivalent posts; and
- (f) if so, the details thereof including the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (f): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (f) OF STARRED QUESTION NO. 205 BY KUNWAR DANISH ALI TO BE ANSWERED IN LOK SABHA ON 15.03.2023 REGARDING ACUTE SHORTAGE OF STATION MASTERS

(a) & (b): The Sanctioned Strength (SS), On Roll (OR) and Vacancy (VAC) position of Station Masters in Indian Railways as on 01.02.2023 is as under:

Station	SS	OR	VAC
Master Cadre	41884	36531	5353

Note: Sanctioned posts in all categories are more than actual operational requirements as they include an element of Leave Reserve and Rest Giver which varies from 30% to 12.5% in safety categories.

(c) & (d): Occurrence and filling up of vacancies is a continuous process and the same is filled by placement of indents by Railways with recruitment agencies as per operational requirements. During the process, vacancies may arise and these are filled subsequently. 6865 vacancies of Station Masters were notified vide Centralized Employment Notification (CEN) No. 01/2019 - Non Technical Popular Categories (NTPC) and panels for the same have already been furnished to indenting Railways.

(e): No, Sir.

(f): Does not arise.
